



CNR NO. UPBJ010037312020

JO CODE UP01598

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।

सत्रवाद संख्या 760 / 2020

सरकार

बनाम

नफीस

मुकदमा अपराध संख्या 125 / 2020

धारा 21 / 22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर।

आरोप

मैं, शगुन पंवार, विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, बिजनौर आप अभियुक्त **नफीस** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ:-

यह कि दिनांक 11-05-2020 को समय 20:30 बजे, बहदू स्थान ग्राम सरताज टैन्ट हाउस की दुकान, कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत आपको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया तथा नियमानुसार आपकी जामा तलाशी लेने पर आपकी पहने कुर्ते की ऊपर की जेब से 225 गोलियां, जिनके रैपर पर अंग्रेजी में **ALPRAZOLAM TABLETS 0.5 mg BECALM 0.5** लिखा है, गोलियां बरामद हुईं, जिनको रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21/22 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोप के लिये इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 16-08-2021

(शगुन पंवार)

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांक: 16-08-2021

(शगुन पंवार)

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।

सत्रवाद संख्या 760 / 2020

सरकार

बनाम

नफीस

मुकदमा अपराध संख्या 125 / 2020

धारा 21 / 22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर।

दिनांक: 16-08-2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त नफीस उपस्थित आया।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) तथा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) ने धारा 226 दं0प्र0सं0 अपना कथन आरंभ करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् विचार करने के उपरान्त मैं इस मत पर पहुंचती हूं कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 21/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का युक्तियुक्त पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया विद्यमान है। तदनुसार आरोप विरचित किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।

अभियुक्त नफीस के विरुद्ध धारा 21/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इनकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 14-09-2021 को पेश हो। नियत दिनांक को गवाह तलब हों।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।